यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

पत्र संख्या :–14 / 2024
S NO:- 2024/163

दायर दिनांकः 23.7.2024
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

किसकन्दा पत्नी गोपी जाति बैरवॉ नि0 कैथुदा तहसील नैनवॉ

– प्रार्थीया

बनाम

कजोड आ0 कल्याण जाति बैरवॉ नि0 केथुदा तहसील नैनवॉ वगैरह। (कुल 20)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम कैथुदा मे कृषि भूमि खाता संख्या 190 की खसरा नम्बर 12 रकबा 0.5744 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/2 व अप्रार्थीगण संख्या 15 लगायत 17 का हिस्सा 1/2 निहित है। प्रार्थीया अपने हिस्से मुताबिक भूमि पर काबिज काश्त करती चली आ रही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीया के हिस्से की भूमि पर आने जाने का वर्षो पुराना रास्ता खसरा नम्बर 72321355 चारागाह भूमि व सकतपुरा से कैथुदा जाने वाले रास्ते से होकर खसरा नम्बर 723/1356 चारागाह भूमि मे होकर खसरा नम्बर 721 व 722 के खातेदारान 5 लगायत 14 व खसरा नम्बर 725/1361 व खसरा नम्बर 10 के खातेदारान 1 लगायत 4 की भूमि मे होकर खसरा नम्बर 11 गैर मुमकिन झरडा मे होकर जिसे नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ते के उपयोग व उपभोग कर अपने कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने के काम मे लेती चली आ रही है।

यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रार्थीया से रंजिश रखते है इस कारण जब प्रार्थीया दिनांक 8.7.2024 को अपने खेत मे फसल बोने के लिए जाने लगी तो सभी एक राय होकर आडे फिर गये और प्रार्थीया को ट्रेक्टर ले जाने से मना कर दिया कि यह कोई रास्ता नही है। प्रार्थीया ने काफी समझाया कि मै वर्षो से इसी रास्ते से आ जा रही हूं लेकिन अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ने यह कहकर मना कर दिया कि यह रास्ता सरकारी नही है। अब हम तुझे यहां से नही आने देंगे और रास्ते को कांटे डालकर बंद कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है।

यह कि प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित विवरणानुसार नक्शा परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते मुताबिक उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे 15 फुट चौडा रास्ता घोषित करवाकर राजस्व नक्शे व समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इस आशय का अंकन करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीया द्वारा जिस खसरा नम्बर 12 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ